

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2450
TO BE ANSWERED ON 08th August, 2022

CONSTANT ATTENDANT ALLOWANCE

2450 SHRI A. A. RAHIM:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) the number of armed forces pensioners eligible and availing the scheme of constant attendant allowance given to those who are 100 per cent disabled/blind attributable to military service;
- (b) the amount given as constant attendant allowance;
- (c) the details of the last five hikes in the allowance and dates of the same;
- (d) the reasons that the allowance is not following minimum wage; and
- (e) whether Government is planning to increase the allowance to match the minimum wage?

A N S W E R

MINISTER OF STATE
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(SHRI AJAY BHATT)

- (a): 1425 (approximately)
- (b): Rs. 90.39 lakh (approximately) in a month.
- (c): The details are as under: -

Sr. No.	Rate	Date
1.	Rs. 600/- per month	01.01.1996
2.	Rs. 3000/- per month	01.01.2006
3.	Rs. 3750/- per month	01.01.2011
4.	Rs. 4500/- per month	01.01.2014
5.	Rs. 6750/- per month	01.07.2017

(d): Constant attendant allowance at a uniform rate is granted to a medically invalided out service personnel in addition to disability pension for 100% disablement. Constant Attendant Allowance is allowed, if in the opinion of the Invaliding Medical Board, disabled pensioner needs the services of a constant attendant for at least a period of 03 months. The allowance is over and above the disability pension consisting of Service Element and Disability Element. The rate of Constant Attendant Allowance has been revised from time to time on the recommendations of the various Pay Commissions.

(e): No, Sir.

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2450
08 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

स्थायी परिचर भत्ता
2450. श्री ए.ए.रहीम:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सैन्य सेवा में शत प्रतिशत दिव्यांग /अंधे हुए सैन्यकर्मियों को दिए जाने वाले स्थायी परिचर भत्ते की योजना का लाभ उठाने वाले सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है;
- (ख) स्थायी परिचर भत्ता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है;
- (ग) उक्त भत्तों में पिछली पांच बढ़ोतरी का ब्यौरा क्या है और ये बढ़ोतरी किस -किस तारीख को की गई है;
- (घ) उक्त भत्ते के लिए न्यूनतम वेतन का पालन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार उक्त भत्ते को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन के बराबर करने की योजना बना रही है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) : 1425 (लगभग)

(ख) : एक माह में 90.39 लाख रु. (लगभग)

(ग):

क्रम सं.	दर	तिथि
1.	प्रतिमाह 600/-	01.01.1996

2.	प्रतिमाह 3000/-	01.01.2006
3.	प्रतिमाह 3750/-	01.01.2011
4.	प्रतिमाह 4500/-	01.01.2014
5.	प्रतिमाह 6750/-	01.07.2017

(घ): चिकित्सा की दृष्टि से अप्रमाणिक पाए गए सेना कार्मिकों को 100% निशक्तता के लिए निशक्तता पेंशन के अलावा समान दर पर स्थायी परिचर भत्ता प्रदान किया जाता है । यदि अप्रमाणिक करने वाले चिकित्सा बोर्ड की राय में निशक्त पेंशनभोगी को न्यूनतम 03 माह की अवधि के लिए स्थायी परिचर के सेवाकाल की आवश्यकता है तो स्थायी परिचर भत्ता प्रदान किया जाता है । यह भत्ता सेवा घटक और निशक्तता घटक वाले निशक्तता पेंशन से ऊपर एवं अधिक होता है । स्थायी परिचर भत्ते की दर को विभिन्न वेतन आयोगों की सिफारिशों पर समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

(ड): जी, नहीं ।
